

31/12/2021

"प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021"

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला नागौर(राज0)

वादी	ब	प्रतिवादी
रघोनी देवी पुत्री युवराज मार थिय	बा म	राजस्थान सरकार जसिये तहसीलदार कुचामनसिटी

राजस्व वाद-पत्र = वाद रेकर्ड दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 88 R.T.Act 1955 एवं 136 R.L.Act 1956 शुद्धि बाबत

वाद-पत्र नम्बर 301/2021 GCMS No. 2021/1078

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिलियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
-------------	------------------------------------	---

031/12/2021
 वादी श्री रघोनी देवी पुत्री युवराज मार थिय निवासी 1249 द्वारा आज "प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021" कैम्प ग्राम पंचायत जेठपुरा में एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर जमाबन्दी सम्वत 2073-2076 ग्राम 1214 पटवार मण्डल 1214 के खाता नम्बर 81 मे वादी की राजस्व रेकार्ड में प्रविष्टि रघोनी देवी पुत्री युवराज मार

दर्ज है जो अशुद्ध है।
 वादी का शुद्ध नाम रघोनी देवी पुत्री युवराज मार है, तथा इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में शुद्ध प्रविष्टि दर्ज करने का निवेदन किया है। जिसके लिए बतौर साक्ष्य स्वरूप वादी द्वारा परिवार राशन कार्ड न. 608378400032 आधार नम्बर 506363461340

मतदाता पहचान पत्र 4037781489 अन्य दस्तावेज 100 अचल-पत्र की छाया प्रति प्रस्तुत की है।
 इस संबंध में हल्का पटवारी 1214 भूअनि 1214 एवं तहसीलदार कुचामनसिटी/नायब तहसीलदार चितावा से रिपोर्ट तलब की गई, रिपोर्ट में इन्होंने वादी का उपरोक्तानुसार नाम एवं प्रविष्टि शुद्ध किये जाने की अनुशंसा की है।

अतः वादी का वाद-पत्र स्वीकार किया जाकर उपरोक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में शुद्ध प्रविष्टि किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल हो।



उपखण्ड अधिकारी
 कुचामन सिटी (नागौर)

1208-1210